

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.1(2)(1)/नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/49

दिनांक: 01.01.2026

आदेश

सा.आ. 143/2026 - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय-4क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 33-ख के खण्ड (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। चूंकि उक्त नियमों के नियम 39-क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जावे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5736 दिनांक 05.12.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 130/2019) ऐसे मतपत्र हेतु प्रारूप विहित किया हुआ है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39-क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 5736 दिनांक 05.12.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 130/2019) को अधिक्रमित करते हुए जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु मतदान यूनिट में प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :-

A. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों हेतु सामान्य जानकारी :-

- ECIL द्वारा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) जो राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के लिए निर्मित की गई है। इन मशीनों का रंग गुलाबी होगा जो किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किया जायेगा एवं इन मशीनों पर SEC Rajasthan अंकित होगा।
- इन मशीनों के द्वारा एक ही कन्ट्रोल यूनिट (CU) से एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है, किन्तु एक पद के लिए निर्वाचन में इन मशीनों को सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह उपयोग में लाया जा सकता है।
- एक कन्ट्रोल यूनिट (CU) के साथ अधिकतम चार बैलेट यूनिट (BU) जोड़ी जा सकती हैं।
- ईवीएम की बैलेट यूनिट (BU) पर कुल 16 पैनल अंकित है किन्तु चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए 15 पैनल ही उपयोग में लेने हैं। बैलेट यूनिट (BU) के अंतिम पैनल में End Button स्थापित हैं, जो ईवीएम में निर्वाचन से संबंधित Setting को Save करने के उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बैलेट यूनिट (BU) का उपयोग होने की स्थिति में भी निर्वाचन संबंधी Setting के लिए प्रथम बैलेट यूनिट (BU) का End Button ही उपयोग में आएगा अन्य बैलेट यूनिट (BU) का नहीं।

- एक पद के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में निर्वाचन संबंधी Setting के बाद मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही बैलेट यूनिट/यूनिटों (BU) के End Button को बन्द (Mask) रखा जायेगा।
- दो पदों का निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में निर्वाचन संबंधी Setting के बाद मतदान के लिए यदि एक से अधिक बैलेट यूनिटें (BU's) उपयोग में लाई जा रही हैं तो अंतिम बैलेट यूनिट (BU) को छोड़कर शेष सभी बैलेट यूनिटों के अंतिम End Button को बन्द (Mask) रखा जायेगा।

ECIL द्वारा निर्मित उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र का प्रारूप निम्न प्रकार विहित किया जाता है:-

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 458 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 12.7 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे दो मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल 25.4 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टताएं तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक एवं नोटा सहित 30 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित

किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 30 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 16 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 30 से अधिक एवं नोटा सहित 45 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 45 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 31 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 45 से अधिक एवं नोटा सहित 60 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 46 से 60 तक के अभ्यर्थी नोटा सहित व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 60 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 30 से 45 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 46 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।

14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टियां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में रखे जायेंगे।

16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाईं ओर कम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाईं ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाईं ओर होगा।
17. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

B. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित अन्य मॉडल की मशीनों हेतु

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या-2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर-पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या-3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टता तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Column) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आड़े कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक एवं नोटा सहित 32 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेंगे और द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 32 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 17 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 32 से अधिक एवं नोटा सहित 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 48 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 33 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक एवं नोटा सहित 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 49 से 64 नोटा सहित तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या 64 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 33 से 48 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 49 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 16/32/48 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेंगे।

14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर-1, शीट नम्बर-2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टियां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे।

16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर कम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाई ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बाँई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दाई ओर होगा।
17. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 01.01.2026

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/50-55

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव